

पर्याप्त दस्तावेजों के अभाव में 1/5 पट्टे

पुकरण सं. 89/2022 दिनांक 4-10-22 निर्णय दिनांक 27-6-23

27-6-23 आज पत्रावली पेश हुई। रिपोर्ट परतारी दस्तावेज अनुसार सैंडप में तट निर्माण प्रकार के हैं कि गैर-साफल पट्टे पुनः मोरी जाति बंजारा निवासी राजपुर 657 के ग्राम राजपुर 657 के आरणी छत्ता नकर 244/2303 रकबा 14.47 है। भूमि-परागट में 0.02 है पर पक्का मकान व 0.02 है भूमि पर तट बनाकर अतिक्रमण कर लिया है। गैर साफल के विरुद्ध पुकरण राषट्थान 2 राजट्टे अधीनस्थ 1953 की धारा 91 के अन्तर्गत दर्ज रजिस्ट्रार कर गैर साफल को लॉर्ड नोटिस क्रमक 1953 दिनांक 4-10-22 जारी कर तलब किया गया। उक्त अतिक्रमण के सम्बन्ध में माननीय सिविल न्यायाधीश महेन्द्र राजगढ़ के पेटा ले एगजिडिजि दिनांक 12/12/2022 तक है। नकार ओडिशिका पेश की गई।

उक्त पुकरण से सम्बन्धित एक पत्रावली-पूर्व से दर्ज रजिस्ट्रार नं 109/2020 जेकर है। शामिल पत्रावली की गई। जिला माननीय सिविल न्यायाधीश महेन्द्र राजगढ़ के पेटा ले एगजिडिजि है। शामिल पत्रावली की गई। गैर साफल को उक्त अतिक्रमण के सम्बन्ध में पुनः नोटिस जारी कर तलब किया गया। गैर साफल की ओर से जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि पार्सी का 50 वर्ग ले कल्ला है एव बंजारा जाति है। एक मजदूरी कर अपना जीवन यापन करता है। उक्त आवाज के अलावा पार्सी के पास अन्य कोई जगह नहीं है। कार्रवाई होप कले का निवेदन किया गया, लेकिन माननीय सिविल न्यायाधीश महेन्द्र राजगढ़ के पेटा ले पतीलात में रुझाव है या नहीं कोई ओडिशिका पेश नहीं की गई। स्पष्ट है अब किसी भी छद्म न्यायालय का एगजिडिजि नहीं है। गैर साफल कागजिल बेधली है।


तहसिलदार
राजगढ़ जिला अजमेर

02/11/2022

उपरोक्त पत्रावली
जारी है।


2.

श्रीत! गैर सापस को आशानी स्वस्थ नकर
 244/2303 रकबा 0.03 है. 2 मि. चारा ग्राह से वेदपली
 के आदेश दिने जाते है। एक शास्त्री-स्वयं L=रुपया
 की 50 रुका 50/- पचाह रुपय कापस की जाती है।
 नु.अ. नि रीक्षक / पशुधरी एका 21 जगु व 1 के -
 वेदपली एड पेनली व पुली हेतु लिखा जीव
 पचावली तहसील राजस्व लेख कर के राजस्व
 लेखो मे मांग कापनी हेतु लिखा वली जीव
 पचावली के लाल शुभार होकर नकर से कम है

निर्णय आज दिनांक 27-6-23 को युकेल-
 न्यायालय मे सुनया गया।


 तहसीलदार
 राजगढ़ जिला अलवर

रा. ले. स. 4 वर्ष 2023-24
 के पृष्ठ संख्या 37 पर च.प. 50/-
 राशि कायम किये गये।


 त. रा. लेखाकार